समाहरणालय, समस्तीपुर
(उत्पाद प्रशाखा)

दूरभाष सं0 :– 06274–222300 (का0)
06274–222301 (आ0)
फैक्स सं0– 06274–222216
E-mail- dm-samastipur.bih@nic.in

(बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत राज्यसात किये गए वाहनों की सार्वजनिक नीलामी)

–: वाहन नीलामी हेतु आम सूचना :–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य में पूर्ण शराबबन्दी के उपरान्त शराब के परिवहन में प्रयुक्त वाहन को समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, समस्तीपुर के द्वारा अधिनियम में विहित प्रावधानों के अधीन राज्यसात किया गया है। तद् आलोक में निम्नलिखित वाहन एवं वाहनों की नीलामी **"जैसे है, उसी स्वरूप में"** के आधार पर अधोहस्ताक्षरी/प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा दिनांक–**06.12.2017** को समय पूर्वाह्न 11:00 बजे, स्थान **उत्पाद अधीक्षक कार्यालय, समाहरणालय समस्तीपुर** पर की जाएगी। उक्त तिथि को किसी कारणवश नीलामी नहीं होने की स्थिति में पुनः दिनांक–**13.12.2017** को किया जायेगा।

नीलामी हेतु वाहन का विवरण :–

क्र0	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	वाहन का न्यूनतम निर्धारित मूल्य (मोटर यान निरीक्षक के द्वारा निर्धारित)	सुरक्षित जमा राशि (20%)	वाहन स्थल
1	2	3	4	5	6
1	BR-33F-8579	बोलेरो	3,20,000.00	64,000.00	खानपुर थाना परिसर
2	UP-16AQ-0036	स्कॉरपियो	6,15,000.00	1,23,000.00	मोहिउद्दीननगर थाना परिसर
3	WB-41E-9029	पिकअप भान	1,50,000.00	30,000.00	रोसड़ा थाना परिसर
4	BR-07PA-1239	टेम्पू	90,000.00	18,000.00	चकमेहसी थाना परिसर
5	BR-33T-0458	मोटरसाईकिल	15,000.00	3,000.00	पटोरी थाना परिसर
6	BR-33N-5737	मोटरसाईकिल	20,000.00	4,000.00	खानपुर थाना परिसर

1. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित स्थान, एवं समय पर संरक्षित राशि के साथ उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते हैं।
2. उपरोक्त विवरणी के स्तम्भ 4 में अंकित राशि को वाहन का न्यूनतम मूल्य माना गया है। न्यूनतम मूल्य से कम की बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी।

3. वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया बारी–बारी से होगी। अर्थात एक वाहन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त ही दूसरे वाहन की नीलामी की जाएगी।
4. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अनुलग्नक–A में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर जमा करना होगा।
5. नीलामी में भाग लेने हेतु वाहन वाहन के न्यूनतम मूल्य का 20 प्रतिशत सुरक्षित के रूप में जमा करने करने के पश्चात् ही नीलामी में भाग ले सकते हैं। सुरक्षित जमा करने की अंतिम तिथि–**06.12.2017** को नीलामी की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के 01 (एक) घंटा पूर्व तक निर्धारित किया जाता है। एक से अधिक वाहन के लिए बोली लगाने की स्थिति में प्रतिवाहन अलग–अलग सुरक्षित जमा करना होगा। सुरक्षित राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के नाम से जमा करना होगा, जो नीलामी की प्रक्रिया खत्म होने के पश्चात् वापस कर दिया जायेगा।
6. नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को पुलिस अधीक्षक के स्तर से निर्गत् आचरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. नीलामी के दौरान उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को उसी समय बोली की राशि एक ही किस्त में जमा करनी होगी। इसमें विफल होने पर अगले उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को सफल माना जाएगा।
8. उच्चतम बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति द्वारा राशि एक मुस्त जमा करने में करने में विफल होने की स्थिति में उनके सुरक्षित राशि को जब्त कर ली जाएगी। इसके निर्णय हेतु नीलामीकर्त्ता का निर्णय अंतिम होगा।
9. यह माना जाएगा कि भाग लेने वाले व्यक्ति के द्वारा नीलामी से पहले वाहन का पूर्ण निरीक्षण कर लिया गया है। वाहन सौंप देने के उपरान्त नीलामीकर्त्ता वाहन संबंधी किसी भी प्रकार के दोष अथवा शिकायत के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
10. नीलामी की प्रक्रिया में समाहरणालय अथवा इससे संलग्न कार्यालय/इसके अधीन किसी भी कार्यालय से सरकारी कर्मी/पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक के कार्यालय अथवा इससे संलग्न थाना/कार्यालय के कर्मी/पदाधिकारी भाग नहीं लेंगे।
11. सफल बोलीदाता को अपने प्रयोजन के लिए वाहन प्राप्त कर लेने पर नियमों के अनुसार अपनी लागत और जिम्मेदारी पर अपने नाम पर वाहन को हस्थानांतरित कराना होगा। नीलामीकर्त्ता वाहनों के पंजीकरण के लिए किसी भी तरह से संबंधित या जिम्मेदार नहीं होगा, और सफल व्यक्ति को वाहन सौंपने के उपरान्त इसका कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा।
12. अपने विवेक के बिना कारण बताए किसी भी समय नीलामी की प्रक्रिया रोकने/किसी वाहन अथवा सम्पूर्ण वाहन की बोली को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का निर्णय नीलामीकर्त्ता सुरक्षित रखता है तथा यह निर्णय अंतिम होगा।
13. इसकी जानकारी जिला के वेबसाईट www.samastipur.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।
14. कार्यदिवस में वाहन के अवलोकन के संबंध में अथवा नीलामी से संबंधित अन्य जानकारी हेतु उत्पाद अधीक्षक, समस्तीपुर (मो0–9473400615) से सम्पर्क किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

ह0/
समाहर्त्ता,
समस्तीपुर।